

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 166 / 2020

तारीख दायरा 18.08.2020

उनवान

गिरिराज पुत्र घांसीलाल जाति धाकड निवासी म0 न0 7 एफ 12, महावीर नगर तृतीय कोटा
तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
- वादी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र रामकिशन जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम देवली मांझी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।
2. प्रेमशंकर पुत्र रामकिशन जाति ब्राम्हण निवासी अग्रसेन मार्ट के पास रकसपुरिया रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
3. पिकी बाई पुत्री ओमप्रकाश पत्नी जगदीश जाति ब्राम्हण निवासी झालावाड जिला झालावाड राजस्थान
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा। - प्रतिवादीगण

दावा बाबत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

उपस्थिति :-

दिनांक :- 13.01.2021

वादी की ओर से :- श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 की ओर से :- एक तरफा
प्रतिवादी कम 2 की ओर से :- श्री जावेद अंसारी एडवोकेट
प्रतिवादी कम 3 की ओर से :- एक तरफा
प्रतिवादी कम 4 की ओर से :- पैरोकार सरकार



उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

—:: निर्णय ::—



संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि वादी ने इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट के तहत उक्त उनवान का प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि ग्राम चनावता पटवार क्षेत्र नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न० 324 की 3.60 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1ता3 के नाम से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/3 था, जो कि उसे उसके पिता स्व० श्री ओमप्रकाश से प्राप्त हुआ था, उक्त कृषि भूमि में श्री ओमप्रकाश का हिस्सा 1/3 दर्ज रहा है, उक्त कृषि भूमि के साबिक खसरा न० 93 नाई वाला रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा रहे हैं। वादी ने आगे कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 3 को पारिवारिक खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से उसने उक्त कृषि भूमि में दर्ज उसके 1/3 हिस्से की कृषि भूमि को वादी को विक्रय करने का अनुबन्ध किया था, तथा उक्त विक्रय अनुबन्ध की पालना मे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य रुपये 6,95,000 रुपये अक्षरे छः लाख पिच्यानवे हजार रुपये प्रतिवादी क्रम 3 ने वादी से प्राप्त कर लिये थे, तथा उक्त कृषि भूमि में दर्ज हिस्से की भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 8.5.2015 से वादी को विक्रय कर दी थी, तथा विक्रीत भूमि का रिक्त आधिपत्य भी मौके पर जाकर वादी को संभला दिया था जो कि वक्त खरीद से वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, अपने उक्त 1/3 खरीदशुदा हिस्से की भूमि को वादी कभी मुनाफा काशत पर तो कभी पांती काशत पर काशत करवाता है, वादी ने उक्त कृषि भूमि में पिंकीबाई के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बेचान नामे की फोटो प्रति हलका पटवारी जी को दे दी थी, जिन्होंने उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम दर्ज कर दिया था, परन्तु उक्त कृषि भूमि को नामान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान बगैर वादी की जानकारी में लाये पुनः वापस प्रतिवादी क्रम 3 के नाम दर्ज कर दिया गया है, तथा प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा भी घटाकर 1/6 दर्ज कर दिया है, जबकि वक्त विक्रय प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा उक्त कृषि भूमि में 1/3 दर्ज था, जिसको वादी ने प्रतिवादी क्रम 3 से खरीद किया था। उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी वादी को उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित खाते की नकल दिनांक 20.7.2020 को प्राप्तकरने पर हुई। उक्त नकल में पुनः प्रतिवादी क्रम 3 का नाम 1/6 हिस्से पर दर्ज देखकर वादी ने हलका पटवारी जी से सम्पर्क किया, तो उन्होंने भी इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की, इस पर वादी ने अपने अभिभाषक महोदय से सम्पर्क किया, तो उन्होंने बताया कि आपके नाम का नामान्तरण खारिज क दिया गया है, तथा आपको अपने अधिकारो के लिए नियमित वाद दायर करने को कहा गया है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

इसलिए वादी माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती आदि की सहायता चाहने के लिए विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, जिस पर प्रतिवादी न0 1ता3 उपस्थित हुए, जिनमें से प्रतिवादी कम 2 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से आगामी पेशी दिये जाने पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई, प्रतिवादी कम 4 की ओर से भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर उसका जवाब भी बन्द किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, व बहस वकील वादी सुनी गई, वकील वादी ने अपनी बहस में बताया, कि उक्त प्रकरण में वादी के वाद को प्रतिवादी कम 2 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया, तथा उक्त प्रकरण में जवाब सरकार बन्द किया गया है, तथा प्रतिवादी कम1व3 के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है, उन्होने अपनी बहस में यह भी बताया कि अपने वाद के समर्थन में वादी ने स्वयं के बयान माननीय न्यायालय में करवाये है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्श करवाया है, उन्होंने प्रार्थना की कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जावें। मैंने वकील वादी की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया, पत्रावली के अवलोकन से मैंने पाया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी कम 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी कम 1 व 3 इस न्यायालय में एक बार उपस्थित होने के बाद बाद में उपस्थित नहीं हुए है और न ही उनकी ओर से कोई जवाब दावा इस पत्रावली में पेश हुआ है, उनके विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है। प्रतिवादी कम 4 द्वारा भी जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब भी बन्द किया गया है पत्रावली के अवलोकन से मैंने यह भी पाया कि वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का बयान पेश किये हैं व उसने प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्श करवाया है, वादी की ओर से प्रस्तुत बयान व दस्तावेजात के खण्डन में प्रतिवादीगण 1,3,4 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई और प्रतिवादी न0 2 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। ऐ

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा



स्थिति में मैं वादी के वाद को स्वीकार करना उचित समझती हूँ जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद में स्थित खसरा न० 324 की 3.60 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी कम 3 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 8.5.2015 से विक्रय किये गये सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की भूमि में वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश देते हुए उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 3 का नाम हटाते हुए वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कम 2 का हिस्सा 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वें ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद में स्थित खसरा न० 324 की 3.60 हैक्टर कृषि भूमि में गलत रूप से दर्ज हिस्से के अंकन का फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण आदि करने का प्रयास नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला, बिहार
सांगोद



फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 166/2020

तारीख दायरा 11.08.2020

उनवान

गिरिराज पुत्र घांसीलाल जाति धाकड निवासी म0 न0 7 एफ 12, महावीर नगर तृतीय कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
- वादी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र रामकिशन जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम देवली मांझी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।
2. प्रेमशंकर पुत्र रामकिशन जाति ब्राम्हण निवासी अग्रसेन मार्ट के पास रकसपुरिया रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
3. पिकी बाई पुत्री ओमप्रकाश पत्नी जगदीश जाति ब्राम्हण निवासी झालावाड जिला झालावाड राजस्थान
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा। - प्रतिवादीगण


दावा बाबत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

उपस्थिति ::-

दिनांक :- 13.01.2021

वादी की ओर से :- श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 की ओर से :- एक तरफा
प्रतिवादी कम 2 की ओर से:- श्री जावेद अंसारी एडवोकेट

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा




प्रतिवादी क्रम 3 की ओर से:- एक तरफा
प्रतिवादी क्रम 4 की ओर से:- पैरोकार सरकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार जैन मिन जानिब मुदई रूबरू श्री मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 324 की 3.60 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 8.5.2015 से विक्रय किये गये सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की भूमि में वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश देते हुए उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 3 का नाम हटाते हुए वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वें ग्राम चनावता पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 324 की 3.60 हैक्टर कृषि भूमि में गलत रूप से दर्ज हिस्से के अंकन का फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण आदि करने का प्रयास नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।


(अंजना सहरावत)
सुपेखण्ड अधिकारी
सांगोद